


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 17 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2020

बिलासपुर दिनांक : 28/2/2020

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 288/बै.प्र./2018 बिलासपुर दिनांक 30.10.2018, क्रमांक 310/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2018 दिनांक 07.12.2018, क्रमांक 13/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019 दिनांक 20.02.2019, क्रमांक 57/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019 दिनांक 06.06.2019, क्र.196/बै.प्र./विद्यापरिषद्/19 दिनांक 23.12.2019, क्रमांक 206/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2020 दिनांक 17.01.2020 एवं क्रमांक 15/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2020 दिनांक 28.02.2020 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्य का नामांकन किया जाता है : -

1. 13(1)(iii) अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1) प्राकृतिक संसाधन | - | प्रो० व्ही.डी. रंगारी, आचार्य, फार्मेसी के स्थान पर |
| | - | प्रो० एस.एस. सिंह, आचार्य, वानिकी |

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल दिनांक 01.03.2020 से पदेन पद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक : 28/2/2020

पृ०क्रमांक 18 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2020
प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. माननीय कुलपति महोदया के सचिव को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)